(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 21/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 23 जून, 2015

विषयः– पोतलदान–पूर्व जांच एजेंसी (पीएसआईए) के रूप में मान्यता के लिए, डीजीएफटी के पास निष्पादित की जाने वाली बैंक गारंटी का प्रपत्र।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा पोतलदान–पूर्व जांच एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए, डीजीएफटी के साथ निष्पादित की जाने वाली, एक नई बैंक गारंटी के प्रपत्र को निर्धारित करते हुए, प्रक्रिया–पुस्तक 2015–20 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों में परिशिष्ट 2ढ–1, जो इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न है, को शामिल करते हैं।

2. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

पीएसआईए के रूप में मान्यता के लिए, बैंक गारंटी को डीजीएफटी के पास निष्पादित किया जाएगा। इसके लिए बैंक गारंटी प्रपत्र एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/53/162/विविध/पीएसआईए/एएम 15/एस–5/आयात सैल से जारी)

सार्वजनिक सूचना सं0 21/2015–20 का अनुलग्नक दिनांक 23 जून, 2015

परिशिष्ट– 2 ढ–1

पोत लदान पूर्व एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए निष्पादित की जाने वाली बैंक गारंटी का प्रारुप (प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.55 और 2.56 तथा एएनएफ–2ठ के क्रम सं0 9 की शर्तों का संदर्भ)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
(महानिदेशक, विदेश व्यापार के माध्यम से)

महानिदेशक, विदेश व्यापार (जिसमें संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/उप–महानिदेशक, विदेश व्यापार शामिल माने जाएंगे) या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/उप–महानिदेशक, विदेश व्यापार या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए फिलहाल प्राधिकृत किए गए किसी अन्य प्राधिकारी के जरिए भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है) मैसर्स.. (आवेदक के पूर्ण विस्तृत नाम पते के साथ ई–मेल, आई.डी., फोन सं./फैक्स सं.) द्वारा पोत लदान–पूर्व निरीक्षण एजेंसी के रुप में (जिसे आगे पीएसआईए कहा गया है) बैंक गारंटी जमा की गई है, को समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 2छ के तहत सरकार द्वारा मान्यता दी जानी है, परिशिष्ट 2छ के अधीन और प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ 10,00,000 रु0 (दस लाख रु0 मात्र) अथवा 20000 अमेरिकी डॉलर (बीस हजार अमेरिकी डॉलर) मात्र के लिए बैंक गारंटी देने की शर्त भी शामिल हैं। हम ....(बैंक का नाम और पूरा पता ई–मेल,आई.डी., फोन सं/ फैक्स सं. तथा अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसमें आगे बैंक कहा गया है) पीएसआईए के लिए आवेदक के अनुरोध पर एतद्द्वारा इसमें उल्लिखित निर्यात दायित्वों सहित उक्त प्राधिकरण में दी गई किसी शर्त को उक्त प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.55 और 2.56 के उल्लंघन के लिए आवेदक द्वारा पूरा न कर पाने के कारण सरकार को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए 10,00,000 रु0/20000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि (लागू राशि को दर्शाएं) सरकार को देने का बिना शर्त और निश्चित वचन देते हैं।

2. हम...(बैंक का नाम लिखें) एतद्द्वारा इस गारंटी के तहत देय राशि का बिना किसी आपत्ति या विरोध के भुगतान करने का वचन देते हैं; जो सरकार द्वारा केवल यह कहने पर कर दिया जायेगा कि पीएसआईए के लिए आवेदक द्वारा अथवा पीएसआईए द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.55 और 2.56 का उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई हानि या नुकसान होने पर दावे की राशि देय हो गई है। जहां तक बैंक द्वारा और बैंक को देय राशि का सम्बंध है, बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग अंतिम होगी।

3. हम पीएसआईए द्वारा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के सम्मुख लंबित तत्संबंधी दायर किसी मुकदमे या कार्यवाही के माध्यम से उठाए गए किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी और इसके अधीन हमारी निरपेक्ष एवं सुस्पष्ट देयता के तहत मांगी गई किसी धनराशि को सरकार को भुगतान करने का वचन देते हैं।

4. हम.................................... (बैंक का नाम दर्शाएं) आगे सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी पूर्णतया लागू रहेगी और उक्त पीएसआईए की मान्यता के लिए जो समय लिया जाएगा, उस अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा पीएसआईए को मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है जैसा कि एफटीपी 2015–20 के परिशिष्ट 2छ और आयात निर्यात प्रपत्रों में यथा अधिसूचित किया गया है। बशर्ते, तथापि, जब तक कि.................. को या से पहले (मान्यता की तारीख से चार वर्षों की अवधि) लिखित में हमें इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है। हम इसके बाद इस गारंटी के तहत सभी देयताओं से मुक्त हो जाएंगे।

5. हम.................................... (बैंक का नाम दर्शाएं) आगे सरकार से सहमत हैं कि हमसे सहमति लिए बगैर और इसके तहत हमारे निर्यात दायित्वों को किसी भी रूप में प्रभावित किए बगैर सरकार (i) पीएसआईए के कार्यों और उत्तरदायित्वों के किसी भी नियम एवं शर्तों में फेरबदल कर सकती है। अर्थात् यह एक सतत बैंक गारंटी होगी और पीएसआईए अथवा बैंक की व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन द्वारा विमुक्त नहीं होगी। अर्थात् गारंटर सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना गारंटी को वापस नहीं करेगा।

दिनांक ....दिन............................वर्ष .... के लिए ....

(बैंक का नाम दर्शाएं)

हस्ताक्षर ....

(बैंक अधिकारी का नाम और पता

कर्मचारी कोड और पूरे पते के साथ)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मेरे द्वारा स्वीकार किया गया।

( )

विदेश व्यापार महानिदेशालय का प्राधिकृत प्रतिनिधि